न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 66/2017/(2017/00160) जिला–नागौर

1. खींवाराम पुत्र लादूराम
2. हरजी राम पुत्र लादूराम
3. डेडूराम पुत्र लादूराम
4. मोहनराम पुत्र लादूराम
5. समस्त जाति जाट निवासी ग्राम घोटिये की ढाणी जीलिया तहसील नांवा जिला नागौर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. रूपाराम पुत्र भींवाराम जाति जाट निवासी ग्राम घोटिये की ढाणी जीलिया तहसील नांवा जिला नागौर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नांवा जिला नागौर।

––––प्रत्यर्थीगण

–––

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी दिनांक 23–10–2017
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 59/2013
बउनवान रूपाराम व अन्य बनाम खींवाराम व अन्य

––––

उपस्थित– 1. श्री सुरेश कुमार शर्मा अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री भींयाराम चौधरी अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांकः–09.04.2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर [illegible] करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सि[illegible] ने [illegible]वादित आराजियात गत खसरा नम्बर 123 के नवीन खसरा नम्बर 1116, 11[illegible], 1120 में 1 बीघा 12 बिस्वा अर्थात 0.28 हैक्टर खसरा नम्बर 1117 में [illegible] करके सम्मिलित की [illegible] नवीन खसरा नम्बर 1117 का अंकित रकबा 0.6[illegible] हैक्टर की जगह 0.2[illegible] हैक्टर कम करते हुए गत खसरा नम्बर 124 का भाग नवीन खसरा नम्बर 1117 घोषित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:42:27 IST
Reason: SelfAttested

जाकर व खसरा नम्बर 1060 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे पूर्व पश्चिम गुजरता हुआ भू–प्रबन्ध कार्यवाही से पूर्व की स्थिति रास्ता कायम करते हुए नवीन खसरा नम्बर 1060 में से 0.28 हैक्टर रास्ते में कायम करते हुए खातेदारी में से कम करते हुए नक्शा ट्रेस में रास्ता कायम करने के तहसीलदार, कुचामनसिटी को आदेश पारित कर दिये। अधिनस्थ न्यायालय को धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पूर्व सेटलमेंट के इन्द्राज को दुरूस्त करने का अधिकार नहीं होने के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23–10–2017 से राजस्व नक्शा ट्रेस में रास्ता कायम करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अधिनस्थ न्ययालय को अपीलार्थीगण की खातेदारी आराजी कम करने का कोई अधिकार नहीं था । अपीलार्थीगण अपनी पूर्ण आराजी की खातेदारी भूमि के कब्जे काश्त में है । प्रत्यर्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी कौनसे रकबे से कम हुई तथा दूसरे किस खसरा नम्बर में शामिल की गई, के बारे में किसी प्रकार के मिलान क्षेत्रफल आदि की कोई जांच नहीं कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायलय को केवल लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त करने का अधिकार है या आपसी सहमति से दुरूस्ती की कार्यवाही करने का अधिकार है। अधिनस्थ न्यायलय को अपीलार्थीगण की भूमि कम करने का कोई अधिकार नहीं है जैसा कि सन् 2015 आर.आर.टी. पेज 10 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की 1 बीघा 12 बिस्वा आराजी कम प्रत्यर्थी की खातेदारी में दर्ज करने का आदेश देने का अधिकार नहीं होने पर भी गलत रास्ता दिया गया है। सेटलमेंट के गलत इन्द्राज को दुरूस्त केवल सक्षम टिनेन्सी एक्ट के तहत ही किये जा सकते है। अधिनस्थ न्यायलय द्वारा खसरा नम्बर का अंकन होना रह जाने के आधार पर अपीलार्थी की भूमि कम करने के अधिकार नहीं है। उक्त कथन के समर्थन में अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने AIR 1954 पेज 340 (एस.सी) व RRT 2015 (1) पेज 10 की छाया प्रति बतौर नजीर प्रस्तुत कर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:12:27 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाथीगण के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस के जवाब में प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने कहा कि गत खसरा नम्बर 123 के दक्षिणी सीमा पर व गत खसरा नम्बर 125 की उत्तरी सीमा पर दोनों खसरा नम्बर 123 व 125 के मध्य पूर्व–पश्चिमी समानान्तर लम्बाई में गुजरता हुआ कटाणी मार्ग खसरा नम्बर 124 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा भूमि गत नक्शा शीट

में अंकित रहा है। गत खसरा नम्बर 123 के नवीन खसरा नम्बर 1109, 1110, 1111, 1113, 1114, 1115, 1116, 1118, 1119, 1120 अंकित हुए। गत खसरा नम्बर 125 के नवीन खसरा नम्बर 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1067 अंकित हुए। खसरा नम्बर 124 रास्ते की भूमि के कोई नवीन खसरा नम्बर भू–प्रबन्ध विभाग की गलती से दर्ज नहीं हो पाये है। नवीन भू–प्रबन्ध कार्यवाही सन् 1986 के दौरान वक्त नवीन खसरा नम्बर 1117 रकबा 0.66 हैक्टर रास्ता नक्शे में अवश्य अंकित किया गया है लेकिन यह नवीन खसरा नम्बर 1117 गत खसरा नम्बर 123 का होना खसरा मिलान प्रमाण पत्र में अंकित किया गया है। अर्थात प्रार्थी व उसके अन्य सह हिस्सेदारान की खातेदारी की कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 123 की भूमि मानते हुए नवीन खसरा नम्बर 1117 सरकारी खाते में दर्ज कर दिया गया जबकि नवीन भू–प्रबन्ध अधिकारियों को अभिलिखित खातेदारी की गत खसरा नम्बर 123 की भूमि को सरकारी रास्ते में दर्ज करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। पटवारी हलका जीलिया, पटवारी हलका सबलपुरा पटवारी हलका कुचामनसिटी द्वारा उक्त रास्ता गत खसरा नम्बर 124 की सीमा गत खसरा नम्बर 124 रास्ते की भूमि की पत्थर सीमा गत खसरा नम्बर 123 व 125 के मध्य कायम करने हेतु पत्थर रूपवाए गए उस वक्त गत खसरा नम्बर 124 रास्ता की भूमि की पत्थरगढ़ी की गई तथा रास्ते की चौड़ाई का उल्लेख किया गया। दिनांक 9–12–88 की मौका रिपोर्ट व नाप चौक के विपरीत नवीन भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गत खसरा नम्बर 124 की भूमि का नवीन खसरा नम्बर का कोई विवरण नहीं दिया गया तथा भू–प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त होने तक वही भूल नक्शा में गत खसरा नम्बर 124 के स्थान परिवर्तित कर दिया यानि रास्ते को गत खसरा नम्बर 123 की भूमि का भाग दर्शाकर कायम कर नवीन खसरा नम्बर 1117 अंकित कर दिये गये। गत खसरा नम्बर 123 के भाग नवीन खसरा नम्बर 1120 की पूर्वी सीमा (उत्तर–दक्षिण) लम्बाई पहले के बजाय कम दूरी को नक्शा में अंकित किया गया है जो गलत है तथा नक्शा की त्रुटि है जो दुरूस्त योग्य है। प्रत्यर्थी की पैतृक भूमि 1 बीघा 12 बिस्वा पर अपीलार्थीगण को कोई अधिकार नहीं रहते हुए भू–प्रबन्ध विभाग की गलती के आधार पर अप्रार्थीगण रास्ता की खसरा नम्बर 1117 को प्रत्यर्थी की पैतृक भूमि में जबरन कायम करके प्रत्यर्थी की पैतृक भूमि को रास्ता बताना चाहते है तथा रास्ता गत खसरा नम्बर 124 की भूमि की कटाणी मार्ग की खसरा नम्बर 1060 में गत खसरा नम्बर 124 की भूमि सम्मिलित कर रखी है। गत खसरा नम्बर 124 को नवीन खसरा नम्बर 1060 की पूर्वी सीमा पर पुनः दर्ज कराया जाना आवश्यक है।

प्रत्यर्थी अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि ग्राम जीलिया की सरहद में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 123 [illegible] नवीन खसरा नम्बर 1116, 1119, 1120 में 1 बीघा 12 बिस्वा [illegible] 0.28 [illegible] सम्मिलित कराने एवं नवीन खसरा नम्बर 1117 की अंकित रकबा [illegible]66 हैक्टर में 0.28 हैक्टर भूमि कम की जाने एवं गत खसरा नम्बर 124 के गत नक्शा शीट के अनुसार नवीन खसरा नम्बर 1117 को नवीन नक्शा शीट में खसरा नम्बर 1060 की उत्तरी सीमा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:42:27 IST
Reason: SelfAttested

सहारे पूर्वी पश्चिम गुजरता हुआ 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि खसरा नम्बर 124 का रकबा पूर्व माफिक कायम करते हुए नक्शा नवीन में त्रुटि को दुरूस्त किया जाने एवं भू–प्रबन्ध विभाग की त्रुटि को दुरूस्त कराने हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 136के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। नकल खतौनी सम्वत 2042–2045 ग्राम जिलिया खसरा नम्बर 124 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा गैर मु0रास्ता राजस्थान सरकार दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2057–60 अनुसार ग्राम जीलिया के खसरा नम्बर 1117 रकबा 0.66 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता सिवायचक में दर्ज है। अपीलार्थीगण बार–बार रास्ते पर कब्जा करते है। अधिनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की अनुपालना में आदेश पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादित आराजियात पैतृक भूमि है। भू–प्रबन्ध विभाग को भूमि विनियम किये जाने या किस्म बदलने अर्थात गै0मु0रास्ता से कृषि भूमि परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नक्शा रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरूस्त कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जबकि धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कार्यवाही का क्षेत्र बहुत सीमित है जिसमें लिपीकीय त्रुटि जो देखने मात्र से स्पष्ट होती हो जिसे दोनों पक्ष की सहमति से ही दुरूस्त किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय को अपीलार्थीगण की भूमि कम करने का कोई अधिकार नहीं है जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने उक्त आदेश द्वारा राजस्व रेकार्ड में खातेदारी संबंधी अंकन को परिवर्तित कर अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि में खसरा कम कर राजस्व रेकार्ड में नक्शा ट्रेस में रास्ता कायम करने नक्शे में तरमीम करने जैसे आदेश पारित कर दिये।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधिनस्थ न्यायालय को खसरा नम्बर 124 जो कि गैर मु0रास्ता दर्ज है, में से ही रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित करने चाहिए थे। जबकि भू–प्रबन्ध से पूर्व राजस्व अभिलेख में उक्त खसरा नम्बर 124 गै0मु0रास्ता 4 बीघा 1 बिस्वा दर्ज था, भू–प्रबन्ध में नये खसरा नम्बर 1117 रकबा 0.66 हैक्टर गै0मु0रास्ता को गत खसरा नम्बर 123 का भाग बताया गया है जो कि अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि थी। भू–प्रबन्ध विभाग को भूमि विनियम किये जाने या किस्म बदलने अर्थात गै0मु0रास्ता से कृषि भूमि परिवर्तन करने के अधिकार नहीं है। सेटलमेंट [illegible] एक्ट के तहत ही दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि कम करते हुए नक्शा ट्रेस में रास्ता कायम करने के आदेश पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:42:27 IST
Reason: SelfAttested

किये है जो विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) कुचामनसिटी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–10–2017 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 59/2017 बउनवान रूपाराम बनाम खींवाराम व अन्य विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है।

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.06.29 17:42:27 IST
Reason: SelfAttested